## फर्द अहकाम

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

प्रभाती देवी बनाम सरकार

त्र संख्या : 20 / 2024

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 1-04-2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 66 रकबा 2.0200है0 ग्राम माथासूला तहसील आंधी जिला जयपुर में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 63 / 1255 रकबा 0.1500है0 जो कि अप्रार्थी राज्य सरकार की भूमि है। जिस मे से लम्बे समय से रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। जो वर्तमान मे कच्चा रास्ता चालू है। जो आगे डामर रोड स्थित है। संलग्न नजरी नक्शे अनुसार 20 फिट चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शा में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।<br>पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 66 में आने जाने हेतु लगवा सरकारी भूमि खसरा नम्बर 63 / 1255 में से नजरी नक्शे अनुसार 20 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौडा रास्ता चाहता है।<br>पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीया द्वारा ग्राम माथासूला तहसील आंधी में अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 66 में आने जाने हेतु लगवा भूमि खसरा नम्बर 63 / 1255 में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे अनुसार रास्ता चाहता है। चुकी उक्त भूमि राजकीय भूमि हैं। जिसमें से किसी भी काश्तकार के आने जाने पर रोक नही है एवं स्वयं के कृषि कार्य हेतु उपयोग में लेने हेतु प्रतिबंद्वित नही है। ऐसी स्थिति में पृथक से रास्ता दिया जाना उचित नही समझते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता हैं।<br>निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जमवारामगढ जिला-जयपुर | |